

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

दूरभाष 0141-5114117, E-mail : jdagr_wuc@rediffmail.com

क्रमांक एफ 8()/आ.कृ./जउप्र /डिग्गी./2017-18 / 5284-5344 दिनांक : 31.7.17

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/बीकानेर/
जैसलमेर/कोटा/बारां/बूंदी।

विषय:- वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत डिग्गी निर्माण कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत समसंख्यक पत्रावली पत्रांक 2003-2090 दिनांक 17.05.2017 द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में डिग्गी निर्माण कार्यक्रम के जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर जिलो द्वारा चाही गयी जानकारी के संबंध में स्पष्टीकरण निम्नानुसार है:-

अनुदान की पात्रता- डिग्गी निर्माण कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में अनुदान की पात्रता बिन्दु संख्या 4 में आवेदन कर्ता कृषक के पास कम से कम 01 हैक्टेयर कृषि भूमि होना आवश्यक है। कृषि भूमि 01 हैक्टेयर से कम लेकिन आधा हैक्टेयर से अधिक होने की स्थिति में भी कृषक अनुदान का पात्र होगा लेकिन अनुदान की न्यूनतम सीमा 4.00 लाख लीटर की भराव क्षमता ही सीमित होगी।

बिन्दु संख्या 34 :- प्लास्टिक लाइनिंग डिग्गी में काम में ली जाने वाली प्लास्टिक शीट आई.एस.आई. मार्का एलडीपीई 500 माइक्रोन या 250 जी.एस.एम. एम.एल.सी.एल.यू.वी. प्लास्टिक शीट या एचडीपीई प्लास्टिक शीट बी आई एस गुणवत्ता 500 माइक्रोन या 300 माइक्रोन जिसका आई.एस. नम्बर: IS 15351:2008 & BIS 10889/2004 है, (कृषक स्वेच्छा के आधार पर) का उपयोग अनिवार्य हैं।

अन्य दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।

(विकास सीतारामजी भाले)
आयुक्त कृषि

क्रमांक एफ 8()/आ.कृ./जउप्र /डिग्गी./2017-18 / 5284-5344
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक : 31.07.2017

1. निदेशक, आत्मा, राज्य कृषि प्रबन्धन संस्था परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक कृषि विस्तार/आदान/अनुसंधान/समन्वय/उद्यान, मु0 जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक कृषि योजना/आरकेवीवाई/प्रशासन/गुण नियंत्रण/प्रबोधन एवं मूल्यांकन/आदान/विस्तार/आईसोपोम/सांख्यिकी/पौ0स0/रसायन/फसल बीमा, मुख्या. जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्डीय कार्यालय श्रीगंगानगर/बीकानेर/कोटा।
5. परियोजना/उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/बीकानेर/जैसलमेर/कोटा/बारां/बूंदी।
6. परियोजना निदेशक कृषि, सीएडी, कोटा।
7. उप निदेशक कृषि (वि0), सिं.क्षे.वि., आईजीएनपी, बीकानेर।
8. उप निदेशक कृषि (सूचना/सांख्यिकी) मु. जयपुर।
9. ए.सी.पी, कृषि आयुक्तालय को लेख है कि विभागीय वेब साईट पर अपलोड करावे।
10. संबंधित सहायक निदेशक कृषि (विस्तार),
11. जिला विस्तार अधिकारी/कृषि अधिकारी, बज्जू/मोहनगढ़/भीकमपुर/कोटा/बून्दी/सुल्तानपुर।

(मानाराम चौधरी)
अतिरिक्त निदेशक कृषि (समन्वय)